...सिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट इटावा, कोटा

FORM NO.|||
फर्द अहकाम
नियम (26)

ज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....
नाबा0 खुशबु.....बनाम.....सरकार.....
38.....मिसल न0.....2025.....(38/2025).....किस्म मु0.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
14/8/25	प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थीया की माता कांति बाई ने प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थीया के हिस्से की भूमि में प्रार्थीया का नाम नाबा0 खुशबु पुत्री परस्या बैरवा नि0 निमोला नाम दर्ज है। जमांबदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खसरा नबर 1202/379, 1203/709, 1204/714 में काशतगार का नाम खुशबु पुत्री परस्या दर्ज है। जिसकी शुध्दि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संम्बधित पटवारी भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम खुशबु पुत्री परस्या के स्थान पर खुशबु पुत्री परसराम नाम दर्ज किया जावे । आज दिनाक 18/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी इटावा	